रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 1970/ज्येष्ठ 9, 1892

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 1970/JYAISTHA 9, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग III—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th April 1970

G.S.R. 833.—In the Ministry of Home Affairs Notification No. 9/1/68-CS.II dated the 21st January, 1970, published as G.S.R. No. 165 in Part II Section 3(i) of the Gazette of India, dated the 31st January, 1970, the word "in" appearing after the words and figures "sub-regulation (1) of regulation 5" shall be deleted and inserted immediately before those words and figures.

[No. 9/1/68-CS.II.]

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

गृह मंत्रालय

दिल्ली, 17 जनवरी, 1970

सा० का० नि० 136 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, आबू, गृह मंत्रालय में पशु चिकित्सा कम्पाउन्डर के पद की भर्ती की पद्धति को विनिमित करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) ये नियम राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (अराजपत्रित—अनुसचिवीय कर्मचारी वृन्द) भर्ती नियम, 1969 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जायेंगे।

2. **पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान** :—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध वेतन मान वे होंगे जो पूर्वोक्त अनसूची के स्तम्भ 2 से लेकर 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें और उक्त पद से सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से लेकर 11 तक में विनिर्दिष्ट हैं;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष व्यक्ति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, सीधी भर्ती के लिये उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट उच्चतम आयु सीमा समय-समय पर निकाले गये केन्द्रीय सरकार के साधारण आदेशों के अनुसार, शिथिल की जा सकेगी।

4. **निरर्हताएं** :—(क) वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुये किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पत्नी के जीवन काल में होता है।

(ख) वह स्त्री उक्त पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि वह उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि इस नियम के प्रवर्तन से छूट देने योग्य विशेष आधार हैं तो वह आदेश दे सकेगी, कि उसे छूट दी जाए।

5. **शिथिल करने की शक्ति**:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

"अनु

सी० पी० टी० सी० (अब राष्ट्रीय पुलिस एकादमी (अराजपत्रित कर्मचारीवृन्द) भर्ती

भर्ती नियमों का प्रारूप :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
पशु चिकित्सा कम्पाउन्डर	1	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग III अराजपत्रित अननुसचिवीय ।	रु० 110—3—131—4—155· द० रो० —4—175—5—180	लागू नहीं होता ।	18—25 वर्ष के बीच

सूची"

नियम; 1969 की अनुसूची राष्ट्रीय पुलिस एकादमी में पशु चिकित्सा कम्पाउन्डर के पद के लिये

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शक्षिक और अन्य अर्हतायें	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु सीमा शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति/प्रोन्नती की दशा में लागु होंगी	परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति क्या भर्ती सीधी होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति-नियुक्ति/अन्तरण द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति अन्तरण किया जाना है	टिप्पणियां
7	8	9	10	11	12
आवश्यक : मेट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पशु चिकित्सा प्रमाण-पत्र । **वांछनीय** : किसी चिड़ियाघर (जूं) या पशु-चिकित्सालय में कम्पाउन्डर के रूप में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता ।	2 वर्ष	100 प्र० श० सीधी भर्ती ।	लागू नहीं होता ।	

[सं० का० 20/4/69/पो०]

पि० ब० राजगोपालन, अवर सचिव ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

***New Delhi, the* 22*nd April* 1970**

G.S.R. 834.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8-C of the Press and Registration of Books Act, 1867, as amended, the Central Government hereby appoints Shri D. B. Kulkarni, Joint Secretary and Legal Adviser to the Government of India, Ministry of Law, as Member of the Press and Registration Appellate Board *vice* Shri S. Balakrishnan.

[No. 21/3/70-Press.]

B. S. SINGH, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1970

जी० एस० आर० 834.—यथा संशोधित, प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8 (ग) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के विधि मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा कानूनी सलाहकार श्री डी० बी० कुलकर्णी को श्री एस० बालकृष्णन के स्थान पर, प्रेस तथा पंजीकरण अपील बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है।

[सं० 21/3/70-प्रेस]

भगवती शरण सिंह, उपसचिव

New Delhi, the 3rd April 1970

G.S.R. 835.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III Posts) Recruitment Rules, 1962, namely:—

(1) These rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III Posts) Recruitment Rules, 1962 after Serial No. 21 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Statistical Assistant	General Central Service, Class III (Non-Ministerial) (Non-Gazetted)	Rs. 210 10—290—15—320—EB—15—425.	100%	..	..	..	25 Years and below	*Essential* : (1) Degree with Statistics as one of the subjects. (2) One year's experience in the compilation and interpretation of statistical data in a Government Department or a reputed business concern or training in a recognised statistical institute. *Desirable*: Experience of field work, particularly, in mass communication media.	Not applicable	Not Applicable-

[No. F. 1/6/68-Est. I]

S. PADMANABHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 अप्रेल, 1970

जी० एस० आर० 835.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. (1) इन नियमों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगें ।

2. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 के

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	सांख्यिकीय सहायक	सामान्य केन्द्रीय सेवा तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) (अराजपत्रित)	210—10—290—15—320—द०रो० 15—425 रूपये	100 प्रतिशत	..	..	..

परिशिष्ट में, क्रम संख्या 21 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

(9)	(10)	(11)	(12)
25 वर्ष और कम	**आवश्यक:** (1) डिग्री जिसमें सांख्यिकी एक विषय रहा हो। (2) किसी सरकारी विभाग में या प्रतिष्ठित व्यवसाय प्रतिष्ठान में सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन तथा निर्वाचन का एक वर्ष का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त सांख्यिकीय संस्था में प्रशिक्षण। **वांछनीय** :— क्षेत्रीय कार्य का अनुभव विशेषकर जन-सम्पर्क साधनों से सम्बन्ध कार्य का।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[संख्या फा० 1/6/68–एस्ट]

एस० पद्मनाभन, अवर सचिव।

New Delhi, the 25th April 1970

G.S.R. 836.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Film Institute of India (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, namely:—

(1) These rules may be called the Film Institute of India (Class II Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Film Institute of India (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, for Serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7
"2.	Assistant Professor Screenplay Writing, Film Institute of India, Poona.	General Central Service Class II Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 590-30-830-35-900.	Not applicable.	40 years and below (Relaxable for Government servants).	*Essential*: (*i*) Degree/Diploma in Cinema (Screenplay Writing / Film Direction) from a recognised University Institute or equivalent. (*ii*) About 3 years experience as a Screenplay Writer. (*iii*) Knowledge of Literature, Indian Art, Culture and Current Affairs. *Or* (*i*) Degree of a recognised University or equivalent. (*ii*) About 5 years' experience as Screenplay Writer. (*iii*) Knowledge of Literature, Indian Art, Culture and Current Affairs. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable*: (*i*) Teaching experience. (*ii*) Knowledge of Indian and International Cinema. (*iii*) Experience of writing fiction. (*iv*) Knowledge of one or more Indian languages other than the candidates own mother tongue.

8	9	10	11	12
Not applicable.	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958".

[No. F. 4/45/68-FA]

K. K. KHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1970

जी० एस० आर० 836 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति भारतीय फिल्म संस्थान (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

(1) इन नियमों को भारतीय फिल्म संस्थान (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त हो जायेंगे ।

2. भारतीय फिल्म संस्थान (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 के परिशिष्ट में क्रम संख्या 2 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

1	2	3	4	5	6
2	सहायक प्रोफेसर, स्क्रीनप्ले लेखन, भारतीय फिल्म संस्थान पूना ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा द्वितीय श्रेणी राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय	590—30—830—35—900 रुपये	लागू नहीं होता	40 वर्ष तथा इससे कम (सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट दी जा सकेगी) ।

7	8	9	10	11	12
आवश्यक :— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से सिनेमा (स्क्रीनप्ले लेखन/फिल्म निर्देशन) में डिग्री/डिप्लोमा या इसके समकक्ष । (2) स्क्रीनप्ले लेखक के रूप में लगभग 3 वर्ष का अनुभव । (3) साहित्य, भारतीय कला, संस्कृति तथा सामयिक मामलों का ज्ञान । या (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या इसके समकक्ष । (2) स्क्रीनप्ले लेखक के रूप में लगभग 5 वर्ष का अनुभव । (3) साहित्य, भारतीय कला, संस्कृति तथा सामयिक मामलों का ज्ञान । (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के लिये आयोग अपने विवेक से इन अर्हताओं में छूट दे सकेगा) ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6

7	8	9	10	11	12
वांछनीय :— (1) शिक्षण अनुभव । (2) भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सिनेमा की जानकारी । (3) उपन्यास लिखने का अनुभव । (4) उम्मीदवार को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त एक या अधिक भारतीय भाषाओं की जानकारी ।					

[संख्या फा० 4/45/68-एफ (ए)]

के० के० खान, अवर सचिव ।

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL, TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 31st January 1970

G.S.R. 837.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Research and Development Organisation for Electrical Industry [Class I and Class II (Gazetted posts)] Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Research and Development Organisation for Electrical Industry [Class I and Class II (Gazetted posts)] Recruitment (Second Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Research and Development Organisation for Electrical Industry [Class I and Class II (Gazetted posts)] Recruitment Rules, 1969, against item 5 relating to the post of "Assistant Director", for the existing entries in column 7, the following entries shall be substituted, namely:—

"*Essential*:

(i) Degree in Electrical/Electronics/Mechanical Engineering from a recognized University/Institution or equivalent qualification.

(ii) About 5 years' experience in a technical organisation or industrial concern of repute, out of which at least 2 years should be in a responsible position in research, development, design of extra high voltage switchgear or large turbogenerators or steam turbines.

(Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well-qualified).

Desirable:

(i) Knowledge of manufacturing processes, materials and testing methods.

(ii) Use of advanced mathematical techniques for solution of problems of Electrical and Mechanical equipments.

(iii) Use of Digital and Analoque Computors."

[No. 4(11)/69-E.I.]

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1970

जी० एस० आर० 837 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा वैद्युत उद्योग के लिए अनुसंधान तथा विकास संगठन (श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2) (राजपत्रित पद) भर्ती नियम 1969 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

(1) इन नियमों को वैद्युत उद्योग के लिए अनुसंधान तथा विकास संगठन (श्रेणी 1 तथा श्रेण 2) (राजपत्रित पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1970 कहा जायेगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । वैद्युत उद्योग के लिए अनुसंधान तथा विकास संगठन श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 (राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में कालम 7 में विद्यमान प्रविष्टि के लिए "सहायक निदेशक" के पद से सम्बन्धित संख्या 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात् :—

"आवश्यक" :

(1) मान्य विश्वविद्यालय/संस्था से इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रोनिक्स/मैकेनिकल इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष अर्हताएं ।

(2) तकनीकी संगठन प्रसिद्ध औद्योगिक संस्था में लगभग 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से अतिरिक्त उच्च वोल्टेज स्विचगियर अथवा बड़े टर्बो जनित्रकों अथवा स्टीम टरबाइनों के अनुसंधान विकास, डिजाइन का कम से कम दो वर्ष तक उत्तरदायित्वपूर्ण पद का अनुभव ।

(प्रार्थी के अन्यथा योग्य होने के मामले में आयोग के स्वविवेक से अर्हताओं में छूट) ।

वांछनीय :

(1) निर्माण परिष्करण, सामान तथा परीक्षण के तरीकों का ज्ञान ।

(2) वैद्युत तथा यांत्रिक उपकरणों की समस्याओं के हल के लिए उन्नत गणितीय प्रविधियों का प्रयोग ।

(3) डिजिटल और एनेलोक कंप्यूटरों का प्रयोग ।

[सं० 4(11)/69-ई-1]

जी० रामनाथन, अवर सचिव ।

New Delhi, the 22nd May 1970

G.S.R. 838.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Joint Director and Editor in the Rural Industries Planning Committee in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development), namely:—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Industrial Development (Joint Director and Editor in the Rural Industries Planning Committee) Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the posts as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, Classification and Scale of pay.**—The number of the posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of Recruitment, age limit and other Qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualifications.**—(1) No person, who has more than one wife living or who, having a spouse living, marries in any case in which such marraige is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to any of the said posts; and

(2) no woman, whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to the posts shown in the Schedule annexed hereto.

SCH...

Recruitment Rules for the Post of Joint Director and

Name of post	No. of posts	Classification.	Scale of pay	Whether selection Post or non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Joint Director.	2	General Central Service Class I Gazetted)	Rs. 1100—50—1400	Not applicable.	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government servants).	*Essential* : (*i*) Master's Degree in Economics of a recognised University or equivalent qualification. *Or* Degree in Mechanical or Chemical Engineering of a recognised University or equivalent qualification; (*ii*) About 10 years' practical experience in the development of cottage or small scale or rural industries,including about four year's experience in organising Small Industrial units in a Government department or institution of repute; (*iii*) Administrative experience (Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well-qualified).
2. Editor	1	Do.	Rs. 700—40—1100—50/2—1250.	Do.	Not exceeding 35 years (relaxable for Govt. servants).	*Essential*: (*i*) Degree of a recognised University with Economics as a subject, and good literary background in English; (*ii*) About five years experience of editorial work under Government or in a news agency or newspaper or publicity organisation of standing; (*iii*) Experience of writing articles relating to industry, preferably rural or small scale industries.

DULE

Editor, Rural Industries Planning Committee

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment	*Transfer on deputation*: Officers of Central Services Class I drawing basic pay of not less than Rs. 900/- p.m. in a scale of or above Rs. 700—1150. (Period of deputation —Ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable.	As required under the Union public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations, 1958.
Do.	Do.	Do.	*Transfer on deputation*: Class I Officers drawing basic pay of not less than Rs. 700/- p.m. in a scale of or above Rs.400—950. (Period of deputation —Ordinarily not exceeding three years.)	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6	7
						(Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well qualified)

8	9	10	11	12	13

[No. 3/5/69-E.I.]

G. RAMANATHAN, Under Secy.

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 20th May 1970

G.S.R. 839.—Shri A. C. Bose who was appointed as Public Trustee *vide* the Ministry of Industrial Development and Company Affairs, Department of Company Affairs Notification No. G.S.R. 144 dated the 19th January, 1968 and Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, Department of Company Affairs Notification No. G.S.R. 113 dated the 14th January, 1970 relinquished charge of that post on the forenoon of 12th May, 1970.

[No. 2/34/69-Admn.I.]

S. S. SINGH, Under Secy.

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1970

सा० का० नि० 557.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, दीपघर और दीपपोत विभाग (वर्ग 1 और 2 राजपत्रित तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1967 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. (1) ये नियम दीपघर और दीपपोत विभाग (वर्ग 1 और 2 राजपत्रित तकनीकी पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये 21 जनवरी, 1967 को प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे —

2. दीपघर और दीपपोत विभाग (वर्ग 1 और वर्ग 2 राजपत्रित तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1967 की अनुसूची में, महानिदेशक के पद से संबद्ध क्रम सं० 1 के सामने :—

(i) स्तम्भ 10 की प्रविष्ट के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

"प्रोन्नति या अन्तरण प्रतिनियुक्ति या पुन: नियोजन या सीधी भर्ती द्वारा प्रत्येक अवसर पर अपनाये जाने वाली पद्धति विशेष आयोग से परामर्श करके तय की जायगी।"

(ii) स्तम्भ 11 की प्रविष्ट के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी , अर्थात्:—

"प्रोन्नति

1–इंजीनियर (सिविल)

(1300–1800 रु०)

2–इंजीनियर (विद्युत)

1300–1800 रु०

(जिनकी उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा हो)

अन्तरण प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय या राज्य लोक निर्माण विभागों में समान पद धारण करने वाले अधिकारी या भारतीय नौसेना के कप्तान और उससे ऊपर के रैंक के, नौचालन अनुभव रखने वाला अफिसर ।

पुनः नियुक्ति

भारतीय नौसेना के कप्तान और उससे ऊपर के रैंक के, नौचालन अनुभव रखने वाले सेवा निवृत या सेवा से नियुक्त अफिसर ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

उक्त अधिसूचना में प्रख्यापित संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव देना जिन परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है ये संक्षेप में निम्नलिखित हैं:—

1965 में पूर्ववर्ती पदधारी की सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप, दीपघर और दीपपोत ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

उक्त अधिसूचना में प्रख्यापित संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव देना जिन परिस्थितियों में आवश्यक हो गया है ये संक्षेप में निम्नलिखित है :—

1965 में पूर्ववर्ती पदधारी की सेनानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, दीपघर और दीजपोत के एक नये स्थायी महानिदेशक का चयन करना आवश्यक हो गया । उस समय उस पद के लिए भर्ती नियम विचाराधीन ही थे किन्तु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा सहमत प्रारूप नियमों, में "इंजीनियर" के निचले पद में 5 वर्ष की सेवा सहित विभागीय अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा और ऐसा न हो सकने पर बाहर से अन्तरण द्वारा उस पद को भरने के लिए उपबन्ध था । कोई भी विभागीय अधिकारी पात्र नहीं था क्योंकि किसी ने भी निचले पद में पांच वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी । अतः एक सेवारत नौसेनिक आफिसर का चयन उस पद को स्थायी आधार पर भरने के लिये किया गया था किन्तु उसकी आरम्भिक नियुक्ति 27–12–1965 से केवल दो वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर की गई थी । आशय यह था कि यदि उसका काम संतोषप्रद साबित हुआ तो नौसेना से उसकी नियुक्ति या सेवानिवृति प्राप्त करने के पश्चात् उसे स्थायी रूप से आमेलित कर लिया जायेगा ।

पद के भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिया गया और वे 21 जनवरी, 1967 के राजपत्र में प्रकाशित किये गये। इन नियमों में प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण " के आधार पर केवल बाहर वालों की नियुक्ति के लिये उपबन्ध था। इन नियमों को अन्तिम रूप देते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था कि इस पदावलि का प्रयोग ऊपर वर्णित नौसेनिक आफिसर के नौसेना की सेवा से नियुक्ति या निवृत्त होने पर अन्तिम रूप से स्थायी अन्तरण और उसकी महानिदेशक, दीपघर और दीपपोत, के रूप में पुष्टि किये जाने के लिए चयन से असंगत था।

संबन्धित नौसेनिक आफिसर द्वारा दो वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर लेने पर उसे नौसेना से सेवा निवृत्त कर दिया गया और 27-12-1967 से उसकी महानिदेशक, दीपघर और दीपपोत, के रूप में पुष्टि कर दी गई थी। इस प्रक्रम पर भी इस बात पर ध्यान नहीं गया कि इससे पूर्व कि भूल आशय के अनुसार उसकी पुष्टि की जा सके, यह अपेक्षित था कि भर्ती नियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाये। किन्तु बाद में संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रक्रिया सम्बन्धी भूल की और ध्यान दिलाया और सभी सम्बन्ध मंत्रालयों आदि से विस्तृत विचार विमर्श करने के पश्चात् यह पाया गया कि इस मामले को नियमित करने का एक मात्र रास्ता नियमों को उस तारीख से जिस तारीख को इन्हें आरम्भ में प्रभावी किया गया था, भूतलक्षी रूप से उपयुक्ततः संशोधित करना है लेकिन इस भूतलक्षी संशोधन का किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सम्बन्ध नौसेनिक आफिसर का चयन 1965 में जब कोई भी विभागीय अधिकरी प्रारूप भर्ती नियमों के अनुसार पात्र नहीं था, स्थायी आधार पर किया जा चुका था।

[सं० फा० 11-एम० एल० (43)/67.]

बी० पी० श्रीवास्तव, उप-सचिव।

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 7th May 1970

G.S.R. 840.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the recruitment to Class I post of Officer on Special Duty (Legal) in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment).

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Department of Labour and Employment Officer on Special Duty (Legal) Recruitment Rules, 1969.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of post, classification thereof and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 12 of the Schedule aforesaid:—

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualification.**—(i) No person who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to the post; and

(ii) No woman, whose marriage is void by reason of her husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to the post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHE-

Recruitment Rules for the post of Officer on Special Duty (Legal) in Ministry /Deptt. of Labour,

Name of Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	whether Selection post or Non-Selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Officer on Special Duty (Legal)	1	G.C.S. Class I Gazetted	Rs. 1600—100—1800	Not applicable	45 years and below (Relaxable for Government servants).	*Essential*: (i) Degree in law of a recognised University or equivalent. (ii) 7 years' practice at the Bar. OR 7 years judical service with special knowledge of Labour laws or as a Presiding Officer of Industrial Tribunal or Labour Courts set up under the Industrial Disputes Act.

DULE

Employment & Rehabilitation in the Department of Labour and Employment.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
No applicable	2 years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment	Transfer on *deputation* Officers of the Central/State Governments with at least 3 years service in posts in the scale of 1100-1600 or equivalent and possessing the qualifications prescribed in Column 7. (Period of deputation ordinarily not exceeding 4 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7
						(Qualification relaxable at Commission's discretion in case of candidate otherwise well qualified). *Desirable* : Experience of legislation

8	9	10	11	12	13

[No. 1/142/69-Adm.I.]

P. R. NAYAR, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 7th May 1970

G.S.R. 841.—The following draft of certain rules further to amend the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), is published, as required by sub-section (1) of that section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 6th August, 1970.

Any objections or suggestions which may be received from any person with regard to the said draft before the said date will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Minimum Wages (Central) Amendment Rules, 1970.

2. In the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, in rule 26,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) A Register of Wages shall be maintained by every employer at the Work spot in form X and entries in respect of each person employed in the establishment shall be recorded therein."

(ii) for sub-rule (5) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(5) A muster Roll shall be maintained by every employer in respect of each person at the workspot and kept in form V and the attendance or absence of each person employed in the establishment shall be recorded in that form."

[No. 53(2)/69-W.E.]

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 8th May 1970

G.S.R. 842.—The following draft of rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 15th June, 1970.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 1970.

2. In the Employees State Insurance (Central) Rules, 1950, in Note (4) under clause (ii) of sub-rule (2) of rule 5,

for the words, "at the rate of rupees thirty one per day", the words "at the rates fixed by the Central Government from time to time" shall be substituted.

[No. F. 1/20/69-HI.]

DALJIT SINGH, Under Secy.

श्रम, रोजगार और पुर्नवास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 8 मई, 1970

सा० का० नि० 842.—कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और आगे संशोधन करने के लिए नियमों को निम्नलिखित प्रारूप जिनको केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका एतद्द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 10 जून, 1970 को या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा।

उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव जो किसी व्यक्ति से यथाविनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त होंगे, उनपर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रारूप नियम

1. ये नियम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम 1950 के नियम 5 के उपनियम के खण्ड (ii) के अधीन टिप्पण (4) में "इकतीस रुपये प्रतिदिन की दर से" शब्दों के लिए "केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर नियत दरों से" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० एफ० 1/20/69–एच आई]

दलजीत सिंह, अवर सचिव।

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 11th May 1970

G.S.R. 843.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Rehabilitation, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1967, published with the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) No. G.S.R. 906, dated the 30th May, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Rehabilitation, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Class I and Class II Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Rehabilitation, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1967 against serial No. 1 relating to the post of Agriculture Adviser, for the existing entries in columns 10 and 11 the following entries shall be substituted, namely:—

10	11
"By transfer on deputation or short term contract.	*'Transfer on deputation or short term contract'* Officers of the Central or State Governments or public undertakings who have put in at least 3 years' service in posts in the scale of Rs. 1300-1600 or equivalent and possess about 10 years experience in the field of Agriculture. (Period of deputation or contract ordinarily not exceeding 4 years)."

[No. 20(3)/69-Adm.I.]

J. K. AHLUWALIA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 8th May 1970

G.S.R. 844.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance (Department of Co-ordination) (Assistant Director, Senior Investigators and Junior Investigators) Recruitment Rules, 1966, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of the Assistant Director, Senicr Investigator and Junior Investigator in the Ministry of Finance (Department of Expenditure), namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Finance (Department of Expenditure) (Assistant Director, Senior Investigator and Junior Investigator) Recruitment Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Scheduled hereto annexed.

3. **Number of posts, classification and scales of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age-limit specified in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the general orders of he Central Government issued from time to time.

5. **Disqualifications.**—(a) No person who has more than one wife living, or who, having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to any of the said posts; and

(b) No woman, whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage, or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts:

Provided that in relation to any post the recruitment to which is to be made by the Union Public Service Commission, no such order shall be made except after consultation with that Commission.

SCHE

Name of Post	No. of posts	Classification.	Scale of pay.	Whether selection post or non-selection post.	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Assistant Director	Two	General Central Service Class I Gazetted	Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950.	Not applicable	35 years and below(Relaxable for Government servants).	*Essential* : (*i*) Master's degree in Statistics or Mathematics/Economics/Commerce (with Statistics)/ Sociology of a recognised University or equivalent. OR Degree of a recognised University with Mathematics/Statistics as a subject, plus a diploma obtained after at least 2 years' Post-graduate training in Statistics at a recognised Institution/ University. (*ii*) About 3 years research experience in applied Statistics or any of the subjects mentioned above. OR About 3 years' practical experience in direction large scale surveys or research studies on Economic and Social problems. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified. *Desirable* : Doctorate in any of the subjects mentioned above.

DULE

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation, if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	By transfer/deputation failing which by direct recruitment.	*Transfer/deputation*: From amongst officers holding analogous posts under Central/State Governments. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7
2. Senior Investigator.	Three	General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 325-15-475-EB-20-575	Selection.	30 years and below (Relaxable for Government servants).	*Essential*: (i) Master's degree in Statistics or Mathematics/Economics/ Commerce (with Statistics) of recognised University or equivalent. OR Degree of a recognised University (with Mathematics/ Statistics as a subject plus a diploma obtained after at least 2 years' Post-graduate training in Statistics from a recognised Institution/University. (ii) About 2 years' experienced of Statistical work involving collection compilation and interpretation of Statistical data. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.
3. Junior Investigators.	Four	General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425.	Not applicable.	Between 19-25 years.	*Essential*: University degree with Mathematics at least upto Matriculation/ Higher Secondary standard. *Desirable*: First or Second Class Degree in Economics/ Mathematics/Statistics/Commerce.

8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.—50%. By transfer/deputation failing which by direct recruitment—50%	*Promotion*: Junior Investigator with 4 years service in the grade, rendered after appointment thereto on a regular basis. *Transfer/deputation* : From amongst officers holding analogous posts under Central Government/State Governments. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Class II D.P.C.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulatis), 1958.
Not applicable	2 years	By Transfer or on deputation failing which by direct recruitment.	*Transfer or on deputation*: Persons working in similar or equivalent grades under Central or State Governments with four years experience. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	Not applicable.	Not applicable

[No. F-24/3/64-E&C/E.I(A)/67.]

R. P. SAKSENA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 8 मई, 1970

जी० एस० आर० 844.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त, मंत्रालय (समन्वय विभाग) (सहायक निदेशक, ज्येष्ठ अन्वेषक और कनिष्ठ अन्वेषक) भर्ती नियम, 1966 को अधिक्रान्त करते हुए राष्ट्रपति वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) में सहायक निदेशक, ज्येष्ठ अन्वेषक और कनिष्ठ अन्वेषक के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:—(1) ये नियम वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) (सहायक निदेशक, ज्येष्ठ अन्वेषक और कनिष्ठ अन्वेषक) भर्ती नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे।

2. **लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से लेकर 4 तक विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं और उससे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से लेकर 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट उच्चतम आयु सीमा समय-समय पर निकाले गए केन्द्रीय सरकार के साधारण आदेशों के अनुसार, शिथिल की जा सकेगी।

5. **निरर्हताएं**:— (क) वह व्यक्ति उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पत्नी के जीवन काल में होता है; और

(ख) वह स्त्री उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति की पात्र नहीं होगी जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि वह विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट देने योग्य विशेष आधार हैं, आदेश दे सकेगी कि उसे छूट दी जाए।

6. **शिथिल करने की शक्ति**:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग या पदों के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकेगी।

परन्तु किसी ऐसे पद के बारे में जिस पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जानी है, कोई भी ऐसा आदेश, सिवाय उस आयोग से परामर्श करने के पश्चात् के, जारी नहीं किया जाएगा।

अनु.

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिये आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1. सहायक निदेशक	दो	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित	400–400–450–30–600–35–670–द० रो०–35–950 रु०	लागू नहीं होता।	35 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है)

सूची

सीधी भर्ती वालों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नती की दशा में लागू होंगी ।	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, क्या भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अन्तररण द्वारा, तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
7	8	9	10
आवश्यक : (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सांख्यिकी गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) /सामाजिक ज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य या गणित/सांख्यिकी विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री तथा मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष सांख्यिकी में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण लेने के पश्चात् प्राप्त किया हुआ डिप्लोमा । (ii) अनुप्रयोगिक सांख्यिकी या ऊपर वर्णित विषयों में से किसी में लगभग 3 वर्ष का अनुसंधान का अनुभव । या आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर बड़े पैमाने पर	लागू नहीं होता ।	2 वर्ष	अन्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

अनुसूची

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाना है ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
11	12	13
अन्तरण/प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन सदृश पद धारण किये हुए अधिकारियों में से । (प्रतिनियुक्ति की कालावधि सामान्यतः 3 वर्ष से अनधिक होगी)	लागू नहीं होता ।	जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6
2. ज्येष्ठ अन्वेषक	तीन	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 अराजपत्रित अननुसचिवीय।	325–15–475–द० रो०–20–575 रु०।	प्रवरण	30 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकती है।)

7	8	9	10
सर्वेक्षण या अनुसंधान अध्ययन के निदेशन का लगभग 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। (अन्यथा सुअर्हत अभ्यर्थियों की दशा में अर्हतायें आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी।) **वांछनीय :** ऊपर वर्णित विषयों में से किसी में डाक्टरेट। **आवश्यक :** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सांख्यिकी या गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य (सांख्यिकी के साथ) में मास्टर डिग्री या समतुल्य या गणित/सांख्यिकी विषय के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री तथा मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष सांख्यिकी में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण लेने के पश्चात् प्राप्त किया हुआ डिप्लोमा।	नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा—50 प्रतिशत अन्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा—50 प्रतिशत।

11	12	13
अन्तरण या प्रतिनियुक्ति पर:		
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधीन समरूप या समतुल्य श्रेणियों में काम कर रहे व्यक्ति जिनका चार वर्ष का अनुभव हो (प्रतिनियुक्ति की कालावधि सामान्यतः तीन वर्ष से अनधिक होगी।)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
3.	कनिष्ठ अन्वेषक ।	चार	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अ-राजपत्रित अननुसचिवीय ।	210–10–290–15–320–द०रो०–15–425 रु० ।	लागू नहीं होता	19–25 वर्ष के बीच ।

7	8	9	10
(ii) सांख्यिकीय कार्य जिसमें सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह, संकलन और निर्वचन आता हो, का लगभग 2 वर्ष का अनुभव । (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी ।) आवश्यक : कम से कम मैट्रिक्युलेशन/हायर सैकेंडरी स्तर तक गणित के साथ विश्वविद्यालय की डिग्री । वांछनीय : अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी/वाणिज्य में प्रथम या द्वितीय श्रेणी की डिग्री ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	अन्तरण द्वारा न्यायाप्रतिनियुक्ति पर जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

11	12	13
प्रोन्नति : कनिष्ठ अन्वेषक, जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 4 वर्ष सेवा कर ली हो।	वर्ग 2 विभागीय प्रोन्नति समिति।	जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है।
अन्तरण/प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन सदृश पद धारण किए हुए अधिकारियों में से। (प्रतिनियुक्ति की कालावधि सामान्यतः 3 वर्ष से अनधिक होगी।)		

[सं० एफ० 24/3/64-ई० एण्ड सी०/ई० 1 (ए)/67]

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS

New Delhi, the 30th May 1970

G.S.R. 845.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary so to do for the prevention of dissemination of documents containing any matter which is likely to prejudicially affect friendly relations with any foreign State, hereby prohibits absolutely the import into India, of any copy of the book entitled "The Man From Moscow" by Greville Wynne, and published by the Arow Book Ltd., 178—202, Great Portland Street, London W1, or any extract therefrom, or reprint of, or any translation of, or other document reproducing, any matter contained in the book in question.

[No. 52-Cus./F. No. 17/40/69-Cus. III.]

J. DATTA, Dy. Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 30 मई, 1970

सीमा शुल्क

सा० का० नि० 845:—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे दस्तावेजों के जिनमें कोई ऐसा विषय अन्तर्विष्ट हो जिससे किसी भी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण

सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, प्रसार के निवारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है, ग्रेविल विन द्वारा लिखित और एरो बुक्स लिमिटेड, 178–202, ग्रेट पोर्टलैण्ड स्ट्रीट, लंदन डब्ल्यू 1, द्वारा प्रकाशित "दि मैन फ्राम मास्को" नामक पुस्तक की किसी भी प्रति के या उससे किसी उद्धरण के अथवा प्रश्नगत पुस्तक में अन्तर्विष्ट किसी विषय के पुनर्मुद्रण (रीप्रिन्ट) या उसके किसी अनुवाद या उसका पुनरुत्पादन करने वाले अन्य दस्तावेज के भारत में आयात को एतद्द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिषिद्ध करती है।

सं 52 सीमा शुल्क/फा० सं० 17/40/69–सीमा शुल्क III)

ज्योतिर्मय दत्त, उप सचिव।

(DEPARTMENT OF REVENUE AND INSURANCE)

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 30th May, 1970.

—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 75, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rule, further to amend the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules 1960 namely:—

1. These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) 26 Amendment Rules, 1970.

2. In the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960, in the First Schedule, after item (4) of Serial No. 102, the following items shall be inserted, namely:—

"(5) Drills of all types including twist drills.	6 % of the F.O.B. value of exports.
(6) Tools for lathes, shapers ad planners all types.	5·25 % of the F.O.B. value of exports.
(7) Milling cutters all types.	6 % of the F.O.B. value of exports.
(8) Reamers	5·25 % of the F.O.B. value of exports.
(9) Threading taps, Threading dies and chasers.	6% of the F.O.B. value of exports.
(10) Small and cutting tools not otherwise specified excluding dies (other than threading dies), Jigs and fixtures.	5·25% of the F.O.B. value of exports."

[No. 30/F.No. 1/122/A. 106/69-DBK]

P. K. KAPOOR, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 30 मई, 1970

सा० का० नि०. 846—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 75 की उपधारा (2) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. ये नियम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) 26 वां संशोधन नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्यात वापसी (साधारण) नियम, 1960 की प्रथम अनुसूची में, क्रम संख्या 102 की मद (4) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

"(5) सभी प्रकार के बरमे (ड्रिल) जिसमें पेचदार बरमे सम्मिलित हैं।	पोत पर्यन्त निशुल्क निर्यात के मूल्य का 6 %
(6) सभी प्रकार की लेथों शेपरों और प्लनरों के लिए औजार	पोत पर्यन्त निशुल्क निर्यात के मूल्य का 5.25 %
(7) सभी प्रकार के मिलिंग कटर	पोत पर्यन्त निशुल्क निर्यात के मूल्य का 6 %
(8) रीमर	पोत पर्यन्त निशुल्क निर्यात के मूल्य का 5.25 %
(9) थ्रेडिंग टैप थ्रेडिंग डाइ और चेजर	पोत पर्यन्त निशुल्क निर्यात के मूल्य का 6 %
(10) डाइ (थ्रेडिंग डाइ से भिन्न) को उपवर्जित कर के अन्यथा अविनिर्दिष्ट लघु और कटिंग औजार, जिग तथा फसचर,	पोत पर्यन्त निशुल्क निर्यात के मूल्य का 5.25 %

[सं० 30/एफ० सं० 1/122/ए० 106-1/69—डी०बी०के०]

पी० के० कपूर, अवर सचिव।

(अर्थ विभाग)

नयी दिल्ली, 28 फरवरी, 1970

सा० का० नि० 318 :—सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार डाक घर बचत प्रमाण-पत्र नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम डाक घर बचत प्रमाण-पत्र (संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये 16 मार्च, 1970 को प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2. डाक घर बचत प्रमाण-पत्र नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 में, खण्ड (iii) की मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्त: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(ङ) 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (II पुरोधरण)

(च) 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (III पुरोधरण) ।"

3. उक्त नियमों के नियम 2 में, खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(iii) "प्रमाण-पत्र" से—

(क) 10-वर्षीय राष्ट्रीय योजना प्रमाण-पत्र,

(ख) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र,

(ग) 12-वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण-पत्र

(घ) 12-वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण-पत्र,

(ङ) 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (II पुरोधरण),

(च) 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (III पुरोधरण), अभिप्रेत है ।

4. उक्त नियमों के नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. अभिधान जिनमें प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे —

(i) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (II पुरोधरण) 10 रु०, 100 रु० 1000 रु० और 5000 रु० के अभिधानों में जारी किये जाएंगे ।"

5. उक्त नियमों के नियम 5 में क्रमश: मद (i) और (ii) के सामने के "35,000" और "70,000" अंकों के स्थान पर क्रमश: "25,000" और "50,000" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त नियमों के नियम 7 के खण्ड (i) में "डाक घर नकद प्रमाण-पत्र" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"3½ प्रतिशत 10-वर्षीय खजाना बचत निक्षेप प्रमाण-पत्र, 4 प्रतिशत 10-वर्षीय खजाना बचत निक्षेप प्रमाण-पत्र और 4½ प्रतिशत रक्षा निक्षेप प्रमाण-पत्र ।"

7. उक्त नियमों के नियम 9 में—

(क) मद (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात् :—

"(6) सम्यक रूप से निम्न प्रकार उन्मोचित परिपक्व प्रमाण-पत्र का अभ्यर्पण "संदाय नए प्रमाण-पत्रों के क्रय द्वारा प्राप्त हुआ संलग्न आवेदन देखिए,"

(ख) मद (vii) लुप्त कर दी जाएगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 10 में, उपनियम (3) लुप्त कर दिया जाएगा।

9. उक्त नियमों के नियम 11 में, उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

"(3क) उपनियम (2) और (3) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, दान कूपन का विनिमय केवल राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (II पुरोधरण) के साथ किया जाएगा।

(3ख) यदि दान-कूपन 5 रु० का है तो उसका विनिमय नकद 5 रु० के साथ किया जा सकेगा।"

10. उक्त नियमों के नियम 16 में, उपनियम (2) के खण्ड (क) में "न भुनाए जा सकने की उस कालावधि के अवसान के पश्चात् किया गया है जो कि नियम 22 में निर्धारित है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् किया गया है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

11. उक्त नियमों के नियम 19 के उपनियम (1) में, "प्रमाण पत्र के न भुनाए जा सकने की कालावधि से पहले या पश्चात् किसी समय" शब्दों के स्थान पर, "प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवसान के पश्चात्" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12. उक्त नियमों के नियम 22 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"22. कब भुनाया जा सकता है —

(1) उपनियम (3) में यथा-उपबन्धित के सिवाय, किसी भी अभिधान का 12-वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् किसी भी समय भुनाया जा सकता है ।

(2) उपनियम (3) में यथा-उपबन्धित के सिवाय, किसी भी अभिधान का 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (II पुरोधरण) या 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (III पुरोधरण) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् किसी भी समय भुनाया जा सकता है

(3) यथास्थिति उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र उसके न भुनाए जा सकने की कालावधि से पूर्व, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में, भुनाया जा सकेगा,

अर्थात् :—

(क) संयुक्त धारण की दशा में धारक या दोनों धारकों की मृत्यु होने पर;

(ख) गिरवीदार द्वारा, जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, समपहरण पर, जब गिरवी इन नियमों के उपबन्धों के अनुरूप हों;

(ग) जब धारण इन नियमों या पुराने नियमों के अधीन विहित सीमाओं से आधिक्य में हों;

( ) जब [illegible] नियमों के उल्लंघन में जारी किया गया [illegible]; और

(ङ) जब न्या[illegible] आदेश दिया गया हो।"

13. उक्त नियमों का नियम 29 लुप्त कर दिया जाएगा

14. उक्त नियमों का नियम 31 उस नियम के उप-नियम (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(2) विभिन्न अभिधानों के 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (II पुरोधरण) के उन्मोचन पर संदेय रकमें (ब्याज सहित) निम्न सारणी के अनुसार होंगी, अर्थात् :—

सारणी

7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (II पुरोधरण) का अभ्यर्पण मूल्य

अंकित मूल्य	10 रु०	100 रु०	1,000 रु०	5,000 रु०
जारी करने की तारीख से 3 वर्ष तक के अवसान के पश्चात् किन्तु 4 वर्ष के अवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य	11.40	114.00	1,140.00	5,700.00
जारी करने की तारीख से 4 वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्तु 5 वर्ष के अवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य	11.40	114.00	1,140.00	5,700.00
जारी करने की तारीख से 5 वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्तु 6 वर्ष के अवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य	12.60	126.00	1,260.00	6,300.00
जारी करने की तारीख से 6 वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्तु 7 वर्ष अवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य	12.60	126.00	1,260.00	6,300.00
7 पूरे वर्षों के पश्चात्	14.10	141.00	1,410.00	7,050.00

(3) विभिन्न अभिधानों के 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (III पुरोधरण) के उन्मोचन पर, छट के समायोजन के पश्चात्, संदेय अभ्यर्पण मूल्य निम्न सारणी में के अनुसार होगा, अर्थात् :—

सारणी

7—वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (III पुरोधरण) के अभ्यर्पण मूल्य

अंकित मूल्य	100 रु०	1,000 रु०	5,000 रु०
जारी करने की तारीख से 3 वर्ष के अवसान के पश्चात किन्तु 4 वर्ष के अवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य . .	98.50	985.00	4,925.00
जारी करने की तारीख से 4 वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्त 5 वर्ष केअवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य	98.50	985.00	4,925.00
जारी करने की तारीख से 5 वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्तु 6 वर्ष के अवासन से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य . .	98.75	987.50	4,937.50
जारी करने की तरीख से 6 वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्तु 7 वर्ष के अवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य	98.75	987.50	4,937.50
7 पूरे वर्षों के पश्चात् .	100.00	1,000.00	5,000.00

(4) नियम 22 के उपनियम (3) में वर्णित परिस्थितियों में से किसी में भुनाए जा सकने वाले विभिन्न अभिधानों के 7—वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (III पुरोधरण) के उन्मोचन पर संदेय अभ्यर्पण मूल्य निम्न सारणी में के अनुसार होगा, अर्थात् :—

सारणी

नियम 22(3) के अधीन 7–वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (II पुरोधरण) का अभ्यर्पण मूल्य

अंकित मूल्य	10 रु	100 रु०	1,000 रु०	5,000 रु०
जारी करने की तारीख से 1 वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्तु 2 वर्ष के अवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य . .	10.40	104.00	1,040,00	5,200.00
जारी करने की तारीख से 2 वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्तु 3 वर्ष के अवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य	10.90	109.00	1,090.00	5,450.00

(5) नियम 22 के उपनियम (3) में वर्णित परिस्थितियों में से किसी में भुनाए जा सकने वाले विभिन्न अभिधानों के 7—वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (III पुरोधरण) के उन्मोचन पर संदेय अभ्यर्पण मूल्य निम्न सारणी में के अनुसार होगा, अर्थात् :—

सारणी

नियम 22(3) के अधीन 7–वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (115 पुरोधरण) का अभ्यर्पण मूल्य

अंकित मूल्य	100 रू०	1,000 रू०	5,000 रू०
जारी करने की तारीख से 1 वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्तु 2 वर्ष के अवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य . . .	99.00	990.00	4,950.00
जारी करने की तारीख से 2 वर्ष के अवसान के पश्चात् किन्तु 3 वर्ष के अवसान से पूर्व अभ्यर्पण मूल्य	98.75	987.50	4,937.50

15. उक्त नियमों के नियम 31–ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"31 ग ब्याज– 7– वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (ii पुरोधरण) पर ब्याज 5 प्रतिशत वार्षिक, संदेय होगा ।"

16. उक्त नियमों के नियम 32 के उपनियम (1) में, खण्ड (iv) लुप्त कर दिया जाएगा।

17. उक्त नियमों के नियम 35 और 36 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"35. 12–वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण-पत्रों का बन्द कर देना—

14 मार्च, 1970 को कारबार बन्द होने के पश्चात् कोई 12–वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

36. विशेष उपबन्ध जहां प्रमाण-पत्रों का, जिसमें 16 मार्च, 1970 से पूर्व एक व्यस्क या संयुक्त रूप से दो वयस्कों द्वारा धारण किए गए 3½ प्रतिशत खजाना बचत निक्षेप प्रमाण-पत्र, 4 प्रतिशत खजाना बचत निक्षेप प्रमाण-पत्र और 4½ प्रतिशत रक्षा निक्षेप प्रमाण-पत्र भी हैं किन्तु 10–वर्षीय राष्ट्रीय योजना पत्र नहीं है, अंकित मूल्य नियम 5 के अधीन विहित क्रमश: 25,000 रु० और 50,000 रू० की सीमाओं से अधिक है किन्तु उक्त तारीख से पूर्व अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक नहीं है, वहां ऐसे अधिक्य को नियम 13 के अधीन अधिक्य धृति नहीं माना जाएगा ।"

18. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप क में,

(i) "12–वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण-पत्र" अंकों और शब्दों, जिन दो स्थानों पर वे आते हैं, वहां के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "7—वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (II पुरोधरण) । 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (III पुरोधरण) जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।"

(ii) उप-पैरा (2) में "मैं/हम डाक खाना बचत प्रमाण-पत्र नियम 1960 से आरम्भ होने वाले और राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों और नकद प्रमाणपत्रों के साथ" समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
मैं/हम डाकघर बचत प्रमाण-पत्र नियम, 1960 का पालन करने का करार करता हूं/करते हैं तथा यह और घोषित करता हूं/करते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण-पत्रों राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण-पत्रों, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों और नकद प्रमाण-पत्रों, $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत खजाना बचत निक्षेप प्रमाण-पत्रों, 4 प्रतिशत खजाना निक्षेप प्रमाण-पत्रों और $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत रक्षा निक्षेप प्रमाण-पत्रों के साथ अब खरीदे जाने के लिए प्रस्थापित राष्ट्रीय बचत-प्रमाण-पत्र (II पुरोधरण) । राष्ट्रीय बच प्रमाणपत्र (III पुरोधरण) ";

(iii) "राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण पत्रों के लिए रसीद" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (II पुरोधरण), राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (III पुरोधरण) के लिए रसीद (जो लागू न हो उसे काट दीजिए)।"

(iv) "जारी किए गए राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण पत्रों की कुल संख्या" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (II पुरोधरण)/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (III पुरोधरण) की कुल संख्या"

[सं० एफ० 3(4)–एन० एस० 70]

सा० का० नि० 319 :—सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना**—

(1) ये नियम राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IV पुरोधरण) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे

(2) ये 16 मार्च, 1970 को प्रवृत्त हो जायेंगे ।

(3) ये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (IV पुरोधरण) को लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

() "अधिनियम" से सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) अभिप्रेत है [।

(ii) "प्रमाण पत्र" से राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IV पुरोधरण) अभिप्रेत है;

(iii) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(iv) "सरकारी कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित कम्पनी अभिप्रेत है;

(v) "पहचान पर्ची" से नियम 11 के अधीन प्रमाण पत्र के धारक को दी गयी पहचान पर्ची अभिप्रेत है ;

(vi) "पुराने प्रमाणपत्र" से डाकघर बचत बैंक प्रमाणपत्र नियम, 1960 के या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (प्रथम पुराधरण) नियम, 1965 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;

(vii) "डाकघर" से भारत का कोई डाकघर जो बचत बैंक कार्य कर रहा हो, अभिप्रेत है।

3. **अभिधान जिनमें प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे**:—राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IV पुरोधरण) 100 रु०, 1000 रुपये और 8,000 रु० के अभिधानों में जारी किये जाएंगे।

4. **प्रमाण पत्रों के प्रकार और उनका जारी करना**:—(1) प्रमाणपत्र निम्नलिखित प्रकार के होंगे, अर्थात् :—

(क) एकलधारक प्रकार के प्रमाणपत्र ;

(ख) संयुक्त 'क' प्रकार के प्रमाणपत्र; और

(ग) संयुक्त 'ख' प्रकार के प्रमाणपत्र।

(2) (क) एकले धारक प्रकार के प्रमाणपत्र किसी वयस्क को, उसके अपने लिये या किसी की अवयस्क की ओर से, या किसी अवयस्क को जारी किये जा सकते हैं;

(ख) संयुक्त 'क' प्रकार के प्रमाण पत्र किन्हीं दो वयस्कों को जो संयुक्त रूप से दोनों धारकों को या उत्तरजीवी को संदेय हों, जारी किये जा सकते हैं;

(ग) संयुक्त 'ख' प्रकार के प्रमाणपत्र संयुक्त रूप से दो वयस्कों को, जो धारकों में से किसी एक को या उत्तर जीवी को संदेय हो, जारी किये जा सकते हैं।

5. **प्रमाणपत्रों का क्रय**:—किसी भी रकम के प्रमाणपत्र क्रय किये जा सकते हैं।

6. **प्रमाणपत्रों के क्रय के लिए प्रक्रिया** :—कोई व्यक्ति जो प्रमाण पत्र का क्रय करना चाहता है, 16 मार्च, 1970 को या उसके पश्चात् प्ररूप 1 में एक आवेदन (जो सब डाक घरों से निःशुल्क अभिप्राप्य है) या तो या स्वयं अपने संदेश वाहक या अल्प बचत योजना के प्राधिकृत अभिकर्ता की मार्फत पेश करेगा।

7. **बेज निविदा**:—प्रमाणपत्र के क्रय के लिए संदाय डाकघर को निम्नलिखित किसी भी रीति से किया जा सकता है, अर्थात् :—

(i) नगद;

(ii) चेक, अदायगी आदेश या दर्शनी हुंडी;

(iii) डाकघर बचत बैंक लेखे से प्रत्याहरण के लिए पास बुक सहित सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रत्याहरण प्ररूप ;

(iv) सम्यक् रूप से निम्न प्रकार से उन्मोचित परिपक्व पुराने प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण "संदाय नये प्रमाणपत्र के पुरोधरण के द्वारा प्राप्त किया—संलग्न आवेदन देखिए।"

8. **प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना** :—(1) नियम 7 के अधीन संदाय कर देने पर प्रमाणपत्र प्रसामान्यतः तुरंत जारी कर दिया जायेगा और इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ऐसे प्रमाणपत्र की तारीख इसके जारी किये जाने की तारीख होगी;

परन्तु जब संदाय चेक, प्रदायगी आदेश या दर्शनी हुंडी के द्वारा किया गया है तो प्रमाण पत्र, चेक, प्रदायगी आदेश या दर्शनी हुंडी के आगम की वसूली से पूर्व, जारी नहीं किया जायेगा।

(2) यदि किसी कारण से प्रमाण पत्र तुरंत जारी नहीं किया जा सकता तो क्रेता को एक अंतरिम रसीद दी जायेगी जो बाद में प्रमाण पत्र के लिए विनियमय की जा सकती है और ऐसी दशा में प्रमाण पत्र की तारीख अनंतिम रसीद की तारीख होगी।

9. **पुराने प्रमाण पत्र के आगम के बदले म प्रमाण पत्र**:–किसी पुराने प्रमाण पत्र का धारक जो उस प्रमाण पत्र को भुनाने का हकदार है, इन नियमों के अधीन प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए प्ररूप 1 में आवेदन दे सकेगा : ऐसे किसी आवेदन की प्राप्ति पर इन नियमों के अधीन आवेदक को प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा और जारी करने की तारीख वह तारीख होगी जिसको पुराना प्रमाण-पत्र परिपक्व हुआ है।

10. **अनियमित धृतियां** :—इन नियमों के उल्लंघन में क्रय या अर्जित किया गया कोई प्रमाण पत्र धारक द्वारा, जैसे ही धृतियों के इन नियमों के उल्लंघन में होने के तथ्य का पता चले, भुना लिया जायेगा और इन नियमों के उल्लंघन में किसी धृति पर कोई ब्याज संदत्त नहीं किया जायेगा।

(2) यदि किसी धृति पर जो इन नियमों के उल्लंघन में क्रय या अर्जित की गई है कोई ब्याज संदत्त कर दिया गया है तो यह सरकार को तत्काल प्रतिदत्त कर दिया जायेगा जिसके न ो सकने पर सरकार, अन्तर्वलित रकम को सरकार द्वारा विनिधानकर्ता को संदेय किसी रकम से या भूराजस्व की बकाया की तरह, वसूल करने की हकदार होगी।

11. **पहचान पर्ची**:—

(1) यदि किसी समय पहचान पर्ची देने के लिए किसी प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति वयस्क द्वारा, जिसमें अवयस्क की ओर से धारक भी सम्मिलित है, या संयुक्त धारकों द्वारा उस डाकघर के पोस्ट मास्टर को जहां प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकृत किया गया है, प्रार्थना की जाती है तो ऐसे धारक या धारकों को उसके या उनके पहचान पर्ची हस्ताक्षरित करने पर पहचान पर्ची दी जाएगी।

(2) पहचान पर्ची प्रमाण पत्र के अन्तिम उन्मोचन के समय अभ्यर्पित कर दी जाएगी या इसके खोने की दशा में, ऐसे खोने की घोषणा, डाक-तार महानिदेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में, डाकघर को दी जाएगी।

12. एक डाक घर से दूसरे को अन्तरण :—

(1) प्रमाणपत्र उस डाकघर से जहां यह रजिस्ट्रीकृत हुआ है किसी अन्य डाकघर को धारक या धारकों के, डाक-तार महानिदेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में दोनों डाक-घरों में किसी एक को आवेदन करने पर अन्तरित किया जा सकेगा।

(2) ऐसा हर आवेदन उसके धारक या धारकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

परन्तु संयुक्त प्रकार के प्रमाण पत्र की दशा में आवेदन धारकों में से एक के द्वारा, यदि दूसरे की मृत्यु हो गई है, हस्ताक्षरित किया जा सकता है।

13. प्रमाण पत्र का एक व्यक्ति से दूसरे को अन्तरण:--

(1) प्रमाणपत्र नीचे यथा विनिर्दिष्ट किसी डाक-घर के अधिकारी (जिसे इन नियमों में इसके पश्चात् प्राधिकृत पोस्टमास्टर कहा गया है) की लिखित रूप में पूर्व सम्मति से अन्तरित किया जा सकता है ।

वे मामले जिनमें अन्तरण मंजूर किया जा सकता है	अन्तरण के लिए अनुज्ञा प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी को पदाभिधान
(क) (i) मृतधारक के नाम से उसके वारिस के नाम (ii) किसी धारक से किसी न्यायालय या न्यायालय के आदेश के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को । (iii) किसी एकल धारक से दो संयुक्त धारकों के नाम जिनमें से एक अन्तरक होगा । (iv) संयुक्तधारकों से संयुक्त धारकों में से किसी एक के नाम ।	उस डाकघर का प्रधान पोस्टमास्टर या उप पोस्ट मास्टर जहां प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकृत हुआ है ।
(ख) अन्य सभी मामले ।	प्रधान पोस्टमास्टर

(2) प्राधिकृत पोस्टमास्टर प्रमाणपत्र के अन्तरण के लिए अपनी सम्मति केवल तभी देगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं अर्थात्--

(क) प्रमाणपत्र का अन्तरण पुरोधरण की तारीख से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् किया जाए या जहां अन्तरण उस कालावधि से पूर्व किया जाता है वहां अन्तरण निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अधीन आता हो, अर्थात्--

(i) किसी निकट सम्बन्धी को नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण अन्तरण;

स्पष्टीकरण--"निकट सम्बन्धी" से पति, पत्नी पारंपरिक पूर्व पुरुष या पारंपरिक वंशज, भाई या बहिन अभिप्रेत है ।

वे मामले जिनमें अन्तरण मंजूर किया जा सकता है	अन्तरण के लिए अनुज्ञाप्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी को पदाभिधान
	(ii) मृतधारक के वारिस के नाम में अन्तरण; (iii) किसी धारक से किसी न्यायालय या न्यायालय के आदेश के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण; (iv) नियम 15 के अनुसार अन्तरण; और (v) संयुक्त धारकों में से किसी एक की मृत्यु होने की दशा में उत्तर-जीवी के नाम में अन्तरण । (ख) अन्तरण के लिए आवेदन डाक-तार महानिदेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में दिया गया हो । ऐसा हर आवेदन उसके धारक या धारकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा :

परन्तु संयुक्त प्रकार के प्रमाणपत्र की दशा में आवेदन धारकों में से एक के द्वारा, यदि दूसरे की मृत्यु हो गई है, हस्ताक्षरित किया जा सकता है ।

(3) उपनियम (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई प्राधिकृत पोस्टमास्टर अवयस्क की ओर से धारण किए गए प्रमाणपत्र के अन्तरण के लिए सम्मति केवल तभी देगा, यदि प्रस्थापित अन्तरण के समय, यथास्थिति, उपखण्ड (i) में या अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट माता या पिता, या संरक्षक लिखित रूप में यह प्रमाणित करता है कि अवयस्क जीवित है और ऐसा अन्तरण उसके हित में है ।

(4) नियम 15 के अधीन अन्तरण से भिन्न प्रत्येक अन्तरण की दशा में मूल प्रमाणपत्र सम्यक रूप से उन्मोचित किया जाएगा और नया प्रमाणपत्र, जिस पर वही तारीख होगी जो अभ्यर्पित किए गए मूल प्रमाणपत्र पर हो, अन्तरिती के नाम जारी किया जाएगा ।

14. एकल धृति से संयुक्त धृति में और संयुक्त धृति से एकल धृति में अन्तरण:—

नियम 13 के उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन इस प्रभाव का एक आवेदन दिये जाने पर :—

(क) एकल धारक के नाम में प्रमाण पत्र धारक और किसी अन्य व्यक्ति के संयुक्त नामों में अन्तरित किया जा सकता है ।

( ) संयुक्त धारकों के नाम में प्रमाणपत्र, संयुक्त धारकों में से एक के नाम में अन्तरित किया जा सकता है ।

15. प्रमाणपत्र का गिरवी रखना—

(1) अन्तरक और अन्तरिती द्वारा, डाक-तार महानिदेशक द्वारा प्राधिकथित प्ररूप में, आवेदन दिए जाने पर, रजिस्ट्रेशन कार्यालय का पोस्टमास्टर किसी भी समय किसी प्रमाणपत्र

(क) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उसकी पदीय हैसियत में;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी को जिसमें सहकारी बैंक सम्मिलित है;

(ग) किसी निगम या किसी सरकारी कम्पनी को; और

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकारी को प्रतिभूति के रूप में अन्तरण की अनुज्ञा दे सकेगा :

परन्तु इस उपनियम के अधीन अवयस्क की ओर से क्रय किए गए प्रमाणपत्र के अन्तरण की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक प्रमाणपत्र का क्रेता यह प्रमाणित न करे कि अवयस्क जीवित है और अन्तरण अवयस्क के हित में है ।

(2) जब कोई प्रमाणपत्र उपनियम (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में अन्तरित किया जाता है, तब रजिस्ट्रेशन कार्यालय का पोस्टमास्टर प्रमाणपत्र पर निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात् —

"——————————को प्रतिभूति के रूप में अन्तरित"

(3) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस नियम के अधीन प्रमाणपत्र का अन्तरिती, जब तक इसका उपनियम (4) के अधीन पुन: अन्तरण न हो, प्रमाणपत्र का धारक समझा जाएगा ।

(4) उपनियम (2) के अधीन अन्तरित प्रमाणपत्र, गिरवीदार के लिखित प्राधिकार पर, प्राधिकृत पोस्टमास्टर की लिखित पूर्व मंजूरी से पुन: अन्तरित किया जा सकता है और जब ऐसा कोई पुन: अन्तरण किया जाए तब रजिस्ट्रेशन कार्यालय का पोस्टमास्टर प्रमाणपत्र पर निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात् —

"—————————— को पुन: अन्तरित"

टिप्पण 1—सरकार का राजपत्रित अधिकारी जो प्रमाणपत्र को उपनियम (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में प्रतिगृहीत करता है, या राष्ट्रपति या राज्य के किसी राज्यपाल की ओर से उपनियम (4) के अधीन गिरवी को निर्मुक्त करने पर यह प्रमाणित करेगा कि वह ऐसे लिखित या विलेख को भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल की ओर से संविधान के अनुच्छेद 299 के अधीन भारत सरकार के —————————— मंत्रालय/—————————— राज्य सरकार के अधिसूचना सं० —————————— तारीख —————————— के अनुसार निष्पादित करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है ।

टिप्पण 2—यथा स्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या अनुसूचित बैंक या सहकारी सोसाइटी जिसमें सहकारी बैंक सम्मिलित है, निगम या सरकारी कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी का कोई अधिकारी, जो प्रमाणपत्र को उपनियम (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में प्रतिगृहीत करता है अपनी-अपनी संस्था की ओर से उपनियम (4) के अधीन निर्मुक्त करता है, अपने तारीख सहित हस्ताक्षर और कार्यालय की मुद्रा के अधीन यह प्रमाणित करेगा कि वह उक्त संस्था के अधीन ऐसे लिखित या विलेखों को उसकी ओर से निष्पादित करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है।

(5) जहां उपनियम (2) और (4) के अधीन किए गए अनेक पृष्ठांकनों के फलस्वरूप उस प्रमाणपत्र पर उसी स्वरूप के और पृष्ठांकन करने के लिए स्थान नहीं बचा है, तो रजिस्ट्रेशन कार्यालय के पोस्टमास्टर द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र के बदले में नया प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।

(6) उपनियम (5) के अधीन जारी किया गया नया प्रमाण पत्र इन नियमों के सब प्रयोजनों के लिए उस प्रमाणपत्र के समतुल्य माना जाएगा जिसके बदले में यह जारी किया गया है।

16. **खोए या नष्ट हुए प्रमाण पत्र का प्रतिस्थापन**—

1. यदि प्रमाणपत्र खोया गया, चुराया गया, नष्ट, विकृत या विरूपित हो गया है तो उसका/उसके हकदार व्यक्ति उस डाकघर को जहां प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकृत हुआ है या किसी अन्य डाकघर को, जिस दशा में आवेदन रजिस्ट्रेशन के कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा, प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन कर सकेगा।

2. ऐसे हर आवेदन के साथ :—

(क) विशिष्टियों यथा प्रमाणपत्र की संख्या, रकम और तारीख को और परिस्थितियां जिनसे ऐसा खोया जाना, चोरी, नाश, विकृति या विरूपिता हुई है को दर्शाते हुए एक विवरण,

(ख) पहचान पर्ची, यदि कोई है

संलग्न की जाएगी।

3. यदि रजिस्ट्रेशन डाकघर से भार साधक अधिकारी का प्रमाणपत्र के खोए जाने, चोरी हो जाने, नष्ट, विकृत या विरूपित हो जाने की बाबत समाधान हो जाता है तो वह, आवेदक के डाक तार निदेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, एक या अधिक अनुमोदित प्रतिभूति या बैंक की गारंटी सहित देने पर, डाक-तार निदेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में, प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा।

परन्तु जहां खोए गए, चुराए गए, नष्ट, विकृत या विरूपित हुए प्रमाण पत्र या प्रमाणपत्रों का अंकित मूल्य या संकलित अंकित मूल्य 500 रुपये या उससे कम है वहां प्रमाण पत्र या प्रमाण-पत्रों की दूसरी प्रति या दूसरी प्रतियां, आवेदक के क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र बिना किसी ऐसी प्रत्याभूति या गारंटी के दिए जाने पर जारी किए जा सकेंगे :

परन्तु यह और कि जहां ऐसा आवेदन किसी विकृत या विरूपित प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में है चाहे उसका अंकित मूल्य कुछ भी हो, प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति ऐसे क्षतिपूर्तिबन्ध

पत्र, प्रतिभूति या गारंटी के बिना जारी की जा सकती है यदि विकृत या विरूपित प्रमाण पत्र और पहचान पर्ची, यदि कोई है, अभ्यर्पित किए जाएं और प्रमाण पत्र मूलत: जारी किए गए प्रमाण पत्र के रूप में पहचाना जा सकता है ।

4. उपनियम (3) के अधीन जारी किए गए प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति इन नियमों के सब प्रयोजनों के लिए मूल प्रमाण पत्र के समतुल्य मानी जाएगी सिवाय इसके कि यह ऐसे डाकघर से भिन्न डाक घर पर जहां ऐसा प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकृत हुआ है पूर्व सत्यापन के बिना भुनाई नहीं जा सकेगी ।

17. **नाम निर्देशक**––

1. नियम 4 के उपनियम (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट एकल प्रकार के प्रमाण पत्र का धारक प्रमाण पत्र क्रय करने के समय प्ररूप 1 में आवश्यक विशिष्टियां भरने पर किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट कर सकेगा जो, उसकी मृत्यु होने की दशा में प्रमाण पत्र का और उस पर देय रकम के संदाय का हकदार हो जाएगा । यदि एसा धारक प्रमाण पत्र के क्रय के समय प्ररूप 1 में नाम निर्देशन से सम्बन्धित आवश्यक विशिष्टियां नहीं भरता, तो वह प्रमाण पत्र के क्रय के पश्चात्, किसी भी समय, परन्तु उसके परिपक्व होने से पूर्व, प्ररूप 2 में उस कार्यालय के पोस्ट-मास्टर को जहां प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकृत हुआ है, किसी व्यक्ति का नामनिर्दिष्ट करते हुए जो उसकी मृत्यु होने की दशा में प्रमाण पत्र का और उस पर देय रकम के संदाय का हकदार होगा, आवेदन दे सकता है ।

परन्तु उस दशा में जहां प्रमाण पत्र का अभिधान 100 रुपये है, धारक एक व्यक्ति से अधिक का नाम निर्देशन करने का हकदार नहीं होगा ।

2. अवयस्क द्वारा और उसकी ओर से आवेदन किए गए और धारण किए गए प्रमाण पत्र की बाबत कोई नाम निर्देशन नहीं किया जाएगा ।

3. इस नियम के अधीन प्रमाणपत्र के धारक द्वारा किया गया नाम निर्देशन, उस डाकघर के पोस्टमास्टर को, जहां प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकृत हुआ है प्ररूप 3 में उस पर नियम 27 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट मूल्य के डाक टिकट लगा कर आवेदन देने के द्वारा रद्द किया जा सकता है या उसमें फेरफार किया जा सकता है ।

टिप्पण––भिन्न-भिन्न समय पर रजिस्ट्रीकृत कराए गए प्रमाणपत्रों के बारे में पृथक् पृथक् आवेदन दिए जाएंगे ।

4. नाम निदशन या नामनिर्देशन का रद्दकरण या नाम निर्देशन में फेरफार उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से यह डाकघर में रजिस्ट्रीकृत हुआ है जो तारीख प्रमाणपत्र पर नोट की जाएगी ।

18. **कब भुनाया जा सकता है**––

(1) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (iv पुरोधरण), इसके जारी किए जाने की तारीख से सात वर्ष के अवसान के पश्चात् सममूल्य पर भुनाया जा सकता है । प्रमाण-पत्र धारक के विकल्प पर उसके जारी किए जाने की तारीख से तीन या पांच वर्ष

के अवसान के पश्चात् भुनाया जा सकता है जिस दशा में संदाय करने से पूर्व छूट निम्नलिखित उप-दर्शित दरों पर समायोजित की जाएगी :—

यदि प्रमाण पत्र —

(i) तीन वर्ष के पश्चात् किन्तु पांच वर्ष के अवसान से पूर्व भुनाया जाता है—————— प्रत्येक 100रु० के लिए 4 रु०

(ii) पांच वर्ष के पश्चात् किन्तु सात वर्ष के अवसान से पूर्व भुनाया जाता है———— प्रत्येक 100 रुपए के लिए 3 रु०

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के होते हुए भी प्रमाण पत्र उसके जारी किए जाने की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात् किन्तु 3 वर्ष से पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन भुनाया जा सकता है, अर्थात् —

(क) धारक की या संयुक्त धारण की दशा में दोनों धारकों की मृत्यु पर;

(ख) गिरवीदार द्वारा जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, समसमहरण पर जब गिरवी इन नियमों के उपबन्धों के अनुरूप हो ;

(ग) जब प्रमाण पत्र इन नियमों के उल्लंघन में जारी किया गया हो; और

(घ) जब न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो ।

(3) यदि प्रमाण पत्र उपनियम (2) के अधीन भुनाया गया है तो संदाय करने से पूर्व छूट निम्नलिखित उपदर्शित दरों पर समायोजित की जाएगी :—

यदि प्रमाण पत्र —

(i) एक वर्ष पश्चात् किन्तु 2 वर्ष के अवसान से पूर्व भुनाया जाता है ———— प्रत्येक 100 रु० के लिए 1.75 रु०

(ii) 2 वर्ष के पश्चात् किन्तु 3 वर्ष के अवसान से पूर्व भुनाया जाता है ———— प्रत्येक 100 रु० के लिए 3.00 रु०

19. **ब्याज**—

ब्याज प्रत्येक पूरे वर्ष की समाप्ति पर $7\frac{1}{4}$ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संदेय होगा किन्तु ब्याज के संदाय के समय किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

20. **भुनाए जाने का स्थान** —

प्रमाणपत्र उस डाकघर पर जहां यह रजिस्ट्रीकृत हुआ है, भुनाया जा सकेगा ;

परन्तु प्रमाणपत्र किसी अन्य डाकघर पर यदि उस डाकघर के भार-साधक अधिकारी का पहचान पर्ची पेश करने पर या इसके रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय से यह सत्यापन हो जाने पर कि प्रमाणपत्र को पेश करने वाला व्यक्ति उसके भुनाने का हकदार है समाधान हो जाए, भुनाया जा सकता है ।

21. **प्रमाणपत्रों का उन्मोचन** :—

(1) प्रमाणपत्र के अधीन देय रकम को प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति, इसके भुनाने पर, इसके पीछे संदाय प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करेगा।

(2) अवयस्क की ओर से क्रय किए गए प्रमाण पत्र की दशा में जिसने अब वयस्कता प्राप्त कर ली है, प्रमाण पत्र उस व्यक्ति द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायगा किन्तु उसके हस्ताक्षर या तो उस व्यक्ति द्वारा जिसने इसे उसकी ओर से क्रय किया है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे पोस्टमास्टर जानता है, अनुप्रमाणित किए जाएंगे।

(3) नियम 27 के उपनियम (1) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय किए जाने पर प्रमाणपत्र के भुनाने वाले किसी व्यक्ति को पोस्टमास्टर द्वारा उन्मोचन का प्रमाणपत्र दिया जा सकता है।

22. **अवयस्क के प्रमाण पत्र का भुनाया जाना** —

(1) अवयस्क की ओर से प्रमाण पत्र को भुनाने वाला व्यक्ति एक प्रमाण पत्र देगा कि अवयस्क जीवित है और धन की अवयस्क की ओर से अपेक्षा है।

(2) जब नामनिर्देशिती अवयस्क है तो अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त व्यक्ति प्रमाण पत्र को भुनाते समय एक प्रमाणपत्र देगा कि अवयस्क जीवित है और धन की अवयस्क की ओर से अपेक्षा है।

23. **वारिसों को संदाय**—

(1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित नामित प्राधिकारी प्रमाणपत्र के धारक की मृत्यु पर प्रत्येक के सामने नोट की गई सीमा तक उसकी विल के प्रोबेट या उसकी संपदा के प्रशासन पत्र या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के अधीन उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के दिए बिना दावे को मंजूर करने के लिए सक्षम होंगे :—

(i) अराजपत्रित प्रधान पोस्टमास्टर और उप पोस्टमास्टर जो प्रवरण ग्रेड में हैं —————— 250 रु० तक

(ii) राजपत्रित प्रधान पोस्टमास्टर, डाकघरों के अधीक्षक और राजपत्रित उप-पोस्टमास्टर —————— 1000 रु० तक

(iii) प्रेसिडेंसी पोस्टमास्टर और डाकघरों के ज्येष्ठ अधीक्षक —————— 2000 रु० तक

(iv) डाक सर्किलों के प्रधान या प्रधान डाक सर्किल के कार्यालय में सहायक पोस्ट-मास्टर जनरल, निदेशक, उपनिदेशक —————— 5000 रु० तक

(2) दावेदार द्वारा यह घोषणा दी जाएगी कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार मृत-व्यक्ति के नाम में उन प्रमाण पत्रों से भिन्न, जिनके लिए संदाय ईप्सित है, कोई अन्य प्रमाण पत्र विद्यमान नहीं है और यदि तत्पश्चात् कोई प्रमाण पत्र 5000 रु० के मूल्य से अधिक में पाया जाय तो उत्तराधिकार का विधिक साक्ष्य जैसा डाकघर द्वारा अपेक्षित हो प्रस्तुत किया जाएगा।

24. **सेना या वायु सेना के कार्मिकों द्वारा धारित प्रमाण पत्रों का भुनाया जाना**—

जहां प्रमाण पत्र के धारण करने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु या अभित्यजन पर और सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन यथास्थिति उस कोर, विभाग, टुकड़ी या यूनिट जिसका मृत व्यक्ति या अभित्याजक था का कमांडिंग आफिसर या समायोजन समिति सेना और वायु सेना (निजी सम्पत्ति का व्ययन) अधिनियम, 1950 (1950 का 40) की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के अधीन एक अध्यापेक्षा उस डाकघर के भारसाधक अधिकारी को जहां प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकृत हुआ है, प्रमाण पत्र के अधीन देय रकम उसे संदाय करने के लिए भेजती हो तो डाकघर का अधिकारी ऐसी अध्यापेक्षा का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

25. **नामनिर्देशितियों के अधिकार**—

(1) प्रमाण पत्र के धारक की मृत्यु होने की दशा में जिसकी बाबत नामनिर्देशन प्रवृत्त है नामनिर्देशिती प्रमाण पत्र की परिपक्वता से पूर्व या पश्चात् किसी भी समय;

(क) प्रमाण पत्र को भुनाने; या

(ख) प्रमाण पत्र को समुचित अभिधानों में, व्यष्टिक नामनिर्देशितियों या संयुक्त रूप से दो वयस्य नामनिर्देशितियों के पक्ष में उपविभाजित करने का हकदार होगा/होंगे ।

(2) उपनियम (i) के प्रयोजनों के लिए, उत्तरजीवी नामनिर्देशिति रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय के पोस्टमास्टर को धारक की और मृत नामनिर्देशिती की, यदि कोई है, मृत्यु के सबूत के साथ, एक आवेदन देगा/देंगे।

(3) यदि एक से अधिक नामनिर्देशिती हैं तो सब नामनिर्देशिती संदाय को प्राप्त करते समय या उपविभाजन के समय प्रमाण पत्र का संयुक्त उन्मोचन देंगे।

टिप्पण—जहां नाम निर्देशन किसी एकल नामनिर्देशिती या दो वयस्क नामनिर्देशितियों के पक्ष में है वहां रजिस्ट्रीकरण का डाकघर उस निमित्त आवेदन दिए जाने पर यथास्थिति ऐसे नामनिर्देशिती या संयुक्त रूप से नामनिर्देशितियों के नाम में नया प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा ।

26. **एक अभिधान से दूसरे में संपरिवर्तन** —

(1) कम अभिधानों के प्रमाण पत्र उसी अंकित मूल्य के उससे अधिक अभिधान के प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्रों में विनिमय किए जा सकते हैं या अधिक अभिधान का प्रमाण पत्र उसी अंकित मूल्य के उससे कम अभिधान के प्रमाण पत्रों में विनिमय किया जा सकता है ।

(2) विनिमय किए हुए प्रमाण पत्र के जारी किए जाने की तारीख वही होगी जो अभ्यर्पित किए गए मूल प्रमाण पत्र की है, वह तारीख नहीं जिसको इसका विनिमय हुआ है ।

27. (1) 100 रु० के अभिधान के प्रमाण पत्र की दशा में पच्चीस पैसे और किसी अन्य दशा में एक रुपए की फीस, निम्नलिखित संव्यवहारों की बाबत प्रभार्य होगी, अर्थात् :—

(i) प्रमाण का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अन्तरण (नियम 14 के अधीन अन्तरण से भिन्न) या मृतधारक के नाम से उसके वारिस के नाम अन्तरण या धारक से न्यायालय या न्यायालय के आदेश के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण या नियम 15 के अधीन किए गए अन्तरण या नियम 13 के उपनियम (2) के खण्ड (क) के उपखण्ड (V) में निर्दिष्ट अन्तरण ;

(ii) नियम 16 के अधीन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना;

(iii) नियम 21 के अधीन उन्मोचन प्रमाण पत्र का जारी किया जाना ;

(iv) नियम 26 के अधीन एक अभिधान से दूसरे अभिधान में संपरिवर्तन ;

स्पष्टीकरण—(i) खण्ड (iii) के अधीन उन्मोचन प्रमाण पत्र के जारी किए जाने के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस की संगणना, सब प्रमाणपत्रों के संकलित अंकित मूल्य पर जो किसी एक आवेदन पर क्रय किए गए थे और जो उन्मोचन किए जाने के लिए उन्मोचन प्रमाण पत्र में सम्मिलित किए गये हैं, पृथकतः की जाएगी। (2) खण्ड (IV) के अधीन संपरिवर्तन के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसे संपरिवर्तन पर जारी होने के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्रों की संख्या और अभिधानों पर आधारित होगी।

(2) नामनिर्देशन के रजिस्ट्रीकरण या नामनिर्देशन में फेरफार या उसके रद्दकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पर पचास पैसे की फीस प्रभार्य होगी :

परन्तु प्रथम नाम निर्देशन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन पर कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी।

28 डाकघर का उत्तरदायित्व—

धारक को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र के कब्जे में अभिप्राप्त करने और इसे कपट पूर्वक भुनाने से कारित हानि के लिये डाकघर उत्तरदायी नहीं होगा।

29 भूल की परिशुद्धि—

(1) डाकतार महानिदेशक, या

(2) पोस्टमास्टर जनरल या डाक प्रभागों के प्रधान अपने अपने अधिकारिता में, या तो स्वप्रेरणा से या इन नियमों के अनुसरण में जारी किए गए प्रमाण पत्र में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर उस प्रमाण पत्र की बाबत किसी लेखन या गणित संबंधी भूल को परिशुद्ध कर सकेगा परन्तु इससे सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति को वित्तीय हानि अन्तर्वलित न हो।

प्ररूप 1

(नियम 6 देखिए)

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (IV पुरोधरण) के क्रय के लिए आवेदन का प्ररूप

(1) मैं / हम एतद्द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (IV पुरोधरण) के क्रय के लिए, जिनका ब्यौरा नीचे के विवरण में दिया है, आवेदन करता हूं / करते हैं और विवरण के स्तम्भ 1 में दर्शित रकम निविदत्त करता हूं/करते हैं।

निविदान का प्ररूप	रकम रू०	उन प्रमाण पत्रों का अभिधान जिनके लिए आवेदन किया गया है	अपेक्षित प्रमाण पत्रों की संख्या	अपेक्षित संयक्त प्रमाण पत्रों का प्रकार (क या ख)	कुल अंकित मूल्य रुपए
	1	2	3	4	5
() नकद					
(ii) चेक, दर्शनी हुण्डी या किसी अनुमोदित स्थानीय बैंक का अदायगी आदेश या अदायगी पर्ची . . .	100				
(iii) डाकघर बचत बैंक से प्रत्याहरण के लिए आवेदन	1000				
(iv) पुनः विनिधान के लिए परिपक्व पुराने प्रमाण पत्र .	5000				
(कुल अंकित मूल्य)					

*केवल संयुक्त धृति की दशा में भरा जाना है

(क) **मेरे / हमारे नाम/नामों———(स्पष्ट शब्दों में) उपनामों सहित यदि कोई है, में।

**एकल या संयुक्त धारक के लिए

———————

———————